

तारीख  
हुक्म

जुलसिंह वनाम श्यामलाल  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नज

दावा 99/21

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


06/03

आज पत्रावली पेश हुई, उज्जयिनी वकील गद्दी  
उप. प्रति संख्यां 01 अंगारत 09 की ओर से  
श्री मैजिस्ट्रेट अंगोर ए. ने कालबनाम पेश  
किया। नकल दावा की जावे। इन्ही पक्षकार एवं  
इसी विवादित आराजी के संबंध में एक  
अन्य दावा संख्यां 133/2022 इसी न्यायालय  
में विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख  
पेशी नियत है अतः इस वाद में वाद  
संख्यां 133/22 उज्जयिनी श्यामलाल वनाम  
जुलसिंह वनाम के साथ सम्बन्धित किया  
जाता है दोनों वादों का निर्णय एक  
साथ किया जावेगा।  
with

~~जोमेक ५ सध द्वारा कार्य का बहिष्कार देखा गया है। अतः  
नगर दिल्दक..... को पेश है~~

11/08/25

पत्रावली पेश हुई, मूल वाद नं. 133/22  
उज्जयिनी श्यामलाल vs जुलसिंह का निर्णय  
किया जाकर निर्णय की एक प्रति इस पत्रावली  
के साथ भी शामिल की गई। पत्रावली पेश  
शुमार दोहरा कारिबल दफ्तर की।

  
(दुर्गा प्रसाद मिश्रा)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक)  
नगर (डीग) राज०

श्यामलाल बनाम फूलसिंह बगै.  
फूलसिंह बनाम श्यामलाल बगै.

## न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी - दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

मुकदमा संख्या :- 133/2022

तारीख दायरा:-20.09.2022

1. श्यामलाल पुत्र हण्डू जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भोंगरा तहसील नगर जिला डीग।
  2. ओमवती पत्नी स्व० श्री लक्ष्मन
  3. महाराज सिंह पुत्र लक्ष्मन
  4. रामहंस पुत्र लक्ष्मन
  5. बबीता पुत्री लक्ष्मन
  6. कवित पुत्री लक्ष्मन
- जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भोंगरा तहसील नगर जिला डीग।

----वादीगण

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भोंगरा तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील नगर जिला डीग।

----- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(2)

मुकदमा संख्या :- 99/2021

तारीख दायरा:-29.07.2021

फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भोंगरा तहसील नगर जिला डीग।

----वादी

बनाम


1. श्यामलाल पुत्र हण्डू
  2. महाराजसिंह पुत्र लक्ष्मन
  3. रामहंस उर्फ भुल्लन पुत्र लक्ष्मन
  4. मोमबत्ती पत्नी लक्ष्मन
- जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भोंगरा तहसील नगर जिला डीग।
5. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

----- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता श्री मेघसिंह भगौर वादीगण
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 01

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक)  
नगर (डीग) राज०

श्यामलाल बनाम फूलसिंह बगै.  
फूलसिंह बनाम श्यामलाल बगै.  
निर्णय


दिनांक:-11.08.2025

उक्त दोनो वादो मे पक्षकार एवं विवादित आराजी एवं चाहा गया अनुतोष एक समान है जिससे दोनो दावो का एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो दावो मे शामिल रहेगी। विवादित आराजी खसरा नं0 160/0.40 वाके ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की भुमि है। जिसके विभाजन के लिए दोनो पक्षो ने पृथक-पृथक वाद प्रस्तुत किये है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 99/2021 उनवानी फूलसिंह बनाम श्यामलाल बगै. को पश्चात्वर्ती वाद संख्या 133/2022 उनवानी श्यामलाल बनाम फूलसिंह बगै. के साथ दिनांक 06.01.2023 को समेकित किया जाकर वकील उभय पक्षकारान की सहमती के अनुसार दावा में प्राथमिक डिकी पारित कर आदेश दिया कि- "वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।"

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना मे तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./25/2706 दिनांक 28.07.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 160/1/0.36 किता 01 रकबा 0.36 है0 फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट सा. नंगला भौंगरा खातेदार हिस्सा पूर्ण। राहिन पजाब नेशनल बैंक शाखा बेरु हिस्सा 3/5
2. आराजी खसरा नं0 160/2/0.04 किता 01 रकबा 0.04 है0 लक्ष्मन, श्यामलाल पि0 हन्डू बहिस्सा बराबर जाति जाट सा. नंगला भौंगरा खातेदार।

प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।



सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक)  
नगर (जीएम) पानो

श्यामलाल बनाम फूलसिंह बगै.

फूलसिंह बनाम श्यामलाल बगै.


प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 के नियम 18-21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रैजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादीगण रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

### :आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा नं0 160/0.40 बाके ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 160/1/0.36 किता 01 रकबा 0.36 है0 फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. नंगला भौंगरा खातेदार हिस्सा 3/5 राहिन पजाब नेशनल बैंक शाखा बेरु।
2. आराजी खसरा नं0 160/2/0.04 किता 01 रकबा 0.04 है0 ओमवती पत्नी लक्ष्मन, महाराज सिंह, रामहंस पिसरान लक्ष्मन, बबीता, कविता पुत्रीयान लक्ष्मन बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, श्यामलाल पि0 हन्डू 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. नंगला भौंगरा खातेदार। नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।



29  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक)

श्यामलाल बनाम फूलसिंह बगै.

फूलसिंह बनाम श्यामलाल बगै.

इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियों में शामिल की जावे। निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

  
(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.

सहायक कलेक्टर

नगर (डीग)

सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रैक)

नगर (डीग) राज०